न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/00005

सुभाष पुत्र श्री भादरराम जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. अभय सेतिया पुत्र श्री अमरनाथ सेतिया जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ टाउन रोड़ हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. श्रीमती रेणू सेतिया पत्नी श्री अमरनाथ सेतिया जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ टाउन रोड़ हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
3. असगर अली पुत्र अब्दुल खफूर जाति मुसलमान निवासी पुरानी खुन्जा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
4. बुल्ले खां पुत्र अब्दुल खफूर जाति मुसलमान निवासी पुरानी खुन्जा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0)
5. वारस अली पुत्र अब्दुल खफूर जाति मुसलमान निवासी पुरानी खुन्जा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0) (फौत)

   5/1 इनायत खातून पत्नी श्री वारस अली
   5/2 आसफ अली पुत्र श्री वारस अली
   5/3 शेरवावत अली पुत्र श्री वारस अली
   5/4 भोले खां पुत्र श्री वारस अली
   5/5 कर्मदीन पुत्र श्री वारस अली

   } जाति मुसलमान निवासी पुरान खुन्जा हनुमानगढ, जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
6. रियासत अली पुत्र अब्दुल खफूर जाति मुसलमान निवासी पुरानी खुन्जा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
7. आरफ अली पुत्र अब्दुल खफूर जाति मुसलमान निवासी पुरानी खुन्जा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
8. बुजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
9. नत्थुराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
10. शीशपाल पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
11. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 25.02.2020, प्र. सं. 234/2014

श्री वतनदीप सिंह मान, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 31.08.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन का एक वाद पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की संयुक्त खाता 5 संवत 2069–72 के प. नं. 110/245 (53) किला नं. 20, 21 तादादी 0.506 हैक्टर व पत्थर नं. 109/245 (54) किला नं. 3 ता 8, 13, 18, 23 ता 25 तादादी 3.795 है0 व पत्थर नम्बर 107/245 (56) किला नं. 2 ता 9, 11 ता 25 तादादी 5.374 है0 पत्थर नम्बर 109/246 (58) किला नं. 4, 5, 6 तादादी 0.582 है0 पत्थर नम्बर 110/246 (59) किला नं. 1, 10 तादादी 0.404 है0 कुल तादादी 10.661 है0 नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

2. वाद में यह भी कथन कियाकि वादीगण के नाम से वाद की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से बहिस्सा बराबर 0.506 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार घरू तौर पर बंटवारा हो गया था और तभी से लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। घरू बंटवारे में चक 1 जेआरके के पत्थर नम्बर 107/245 (56) किला नं. 15/.152, 16/.253, 25/.101 कुल तादादी 0.506 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ सींव बट का विवाद रहता है जिससे संयुक्त खाता होने से वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण ने वाद पत्र की प्रश्नगत भूमि का खाता प्रतिवादीगण से अलग कामय कर वादीगण के नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने का अनुतोष मांगा।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं वादी का वाद स्वीकार किया एवं वादी संख्या 1 अभय सेतिया पुत्र श्री अमरनाथ सेतिया व वादी संख्या 2 रेणू सेतिया पत्नी श्री अमरनाथ सेतिया को चक 1 जे.आर.के. पत्थर नम्बर 107/245

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

(56) किला नं. 14/.108, 17/.199, 24/.199 कुल 0.506 है0 का बहिस्सा बराबर का विभाजन किया एवं तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया कि उक्त भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में अपील की मियाद अवधि के बाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही आने पर रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध दिनांक 16.08.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार हनुमानगढ ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कर खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार नही किया, ना ही मौका पर जाकर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया ना ही मौका पर कृषि भूमि, रकबा, कब्जा का निरीक्षण किया। तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सह खतोदारों की उपस्थिति होने के लिए कोई नोटिस/सूचना नही दी और खाता विभाजन प्रस्ताव अपनी मनमर्जी से कार्यालय में बैठकर रिकार्ड की अनदेखी करते हुए तैयार किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपने वाद पत्र में पत्थर नम्बर 107/245 मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 15/.152, 16/.253, 25/.101 हैक्टेयर कुल .506 हैक्टेयर भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना दर्शित किया है जबकि विभाजन प्रस्ताव में पत्थर नं. 107/.245 मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 14/.108, 17/.199, 24/.199 कुल 506 है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना दर्शित किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के वादपत्र में विभाजन प्रस्ताव में भिन्न भिन्न किला नम्बर पर कब्जा काश्त होना दर्शित होने के बावजूद भी सहखातदारों को कोई सूचना नही दी गई।

6. रिकार्ड जमाबन्दी में पत्थर नम्बर 107/245 के मुरब्बा नं. 56 के किला नम्बर 24 में .164 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु विभाजन प्रस्ताव में किला नं. 24 में.199 हैक्टेयर कृषि भूमि अंकित कर विभाजन प्रस्ताव विचारणीय न्यायालय में भिजवाया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही किला नं. 24 में .199 हैक्टेयर कृषि भूमि को शामिल करते हुए खाता विभाजन की डिक्री पारित की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

7. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का पत्थर नम्बर 107/245 के किला नं. 14, 17, 24 पर कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपने अर्न्तस्थ हितों की पूति के लिए राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने कब्जा काश्त की भूमि से हटकर अच्छी व सुविधाजनक भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया है जिससे अपीलाण्ट अपने साम्पतिक अधिकारों से वंचित हो गया है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि अपीलाण्ट को एक सप्ताह पूर्व अपीलाण्ट को जमाबन्दी की आवश्यकता थी तब अपीलाण्ट को जमाबन्दी हेतु पटवारी से सम्पर्क किया उस समय हल्का पटवारी के बताने पर अपीलाण्ट को यह जानकारी हुई कि सह खातेदार रेस्पोडेण्ट ने खाता विभाजन की डिक्री पारित करवाई है। अपीलाण्ट को खाता विभजान की डिक्री का पता लगते ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त की है। नकल प्राप्त करते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

9. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं प्रकरण निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

11. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायलाय में खाता विभाजन का वाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने प्रस्तुत किया था जो एकपक्षीय डिक्री किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में प. नं. 107/.245 मु0 नं0 56 के किला नं. 15/.152, 16/.253, 25/.101 हैक्टेयर कुल . 506 हैक्टर भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना दर्शित किया है जबकि विभाजन प्रस्ताव में प. नं. 107/245 मुरब्बा नम्बर 56 के किला नं. 14/.108, 17/.199, 24/.199 कुल 506 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना दर्शित किया है। वादीगण के वादपत्र व विभाजन प्रस्ताव में भिन्न किला नं. पर कब्जा काश्त होना दर्शित किया होने के बावजूद सह खातेदारों को कोई सूचना नही दी गई। इस प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया था उसमें राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त रिकार्ड जमाबन्दी में प. नं. 107/245 के मु. नं. 56 के किला नं. 24 में .164 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है परन्तु विभाजन प्रस्ताव में किला नं. 24 में .199 हैक्टेयर कृषि भूमि अंकित कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है एवं उसी अनुसार निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलाय ने राजस्व रिकार्ड व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2020 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:29 IST
Reason: SelfAttested